राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

कमांक : प.1(7)वित्त/अंकेक्षण/2020 जयपुर, दिनांकः 03.09.2020

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (राज्य वित्त) तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2018–19 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2018–19 राजस्थान विधानसभा में दिनांक 21–08–2020 को उपस्थापित किये जा चुके हैं। उक्त प्रतिवेदनों की प्रतियाँ निदेशक, वित्त (बजट) विभाग के पत्र कमांक कमशः प–7(6)वित्त–1(1) आ.व्य./2020 तथा प–7 (5) वित्त–1 (1) आ.व्य./2020 दिनांक 25–08–2020 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। उक्त प्रतिवेदन महालेखाकार, राजस्थान की वेबसाईट **agraj.cag.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

जैसा कि आपको विदित है भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के उक्त प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को प्रतिवेदनों के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हैं। पूर्व में कतिपय विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति को जनलेखा समिति ने अत्यधिक गंभीरता से लिया है और शासन को निर्देश दिये हैं कि भविष्य में उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः अनुरोध है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (राज्य वित्त) तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2018–19 में समाविष्ट आपके विभाग/नियंत्रणाधीन विभागों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि 3 माह (दिनांक 20–11–2020 तक) में महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को 30 प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें । राजस्थान विधानसभा को भिजवायें जाने वाले संवीक्षित उत्तर की चार प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) राजस्थान तथा एक प्रति वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। यह भी निवेदन है कि उक्त प्रतिवेदनों में दर्शाई गई त्रुटियों/कमियों को मध्यनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराने की कार्रवाई भी करावें।

भवदीय,

(निरंजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) जयपुर ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I/लेखापरीक्षा–II) राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर अविलम्ब अपने प्रशासनिक विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
5. निदेशक, बजट/समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव वित्त विभाग ।
6. निदेशक, निरीक्षण/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) राजस्थान, जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव